

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)



वादीगण  
मोतीराम बजै

बनाम

प्रतिवादीगण  
शक भारती बजै

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं.-१००/२०१७

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
12-7-17	यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 88, 166 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28-7-17 को पेश हो।	
28 7/5	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पत्रावली न्याय आप के हाट सिटि सिमापत देके पर पीठासीन अधिकारी की मितिग में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14-8-17 को प्रस्तुत करें।</p>	
14-8-17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 14-09-17 को प्रस्तुत करें।</p>	
14-9-17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>उत्तिले 01 की अति इलितु शालवी ने वकालत कर ल-17 स्वांग भुवी पेश किये।</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 30-10-17 को प्रस्तुत करें।</p>	
30-10-17	<p>पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता</p> <p>पीठासीन अधिकारी की मितिग में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 2-11-17 को प्रस्तुत करें।</p>	

8-11-17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में भ्रमण अवकाश पर गये हुए है, इसलिए प्रकरण उनके समक्ष दिनांक 6-12-17 को प्रस्तुत करें।

